रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 517] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 22, 1992/पौष 1, 1914
No. 517] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 22, 1992/PAUSA 1, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1992

सा. का. नि. 939(अ)—अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) केन्द्रीय नियम, 1480 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार, अंतरराराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का

विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 (1979 का 30) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाना चाहते है, उक्त धारा की उपधारा (1) की अपेक्षा अनुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती की उक्त प्रारूप नियमों पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

2. केन्द्रीय सरकार, किन्हीं ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर, जो उपयुक्त विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर या उससे पहले उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) से प्राप्त होंगे, विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) केन्द्रीय (संशोधन नियम) 1992 है।

2. अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) केन्द्रीय नियम 1980 के नियम 37 के उपनियम (1) में:—

(i) "जिसमें प्रत्येक परामर्श फीस 16 रु० तक सम्मिलित है" शब्दों और अंकों के स्थान पर "जिसके अंतर्गत ऐसी दरों पर परामर्श फीस भी है जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) इस प्रकार संशोधित उपनियम (1) के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अन्तत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु यह कि समुचित सरकार द्वारा परामर्श फीस, कालित : प्रत्येक चार वर्ष में एक बार पुनर्रीक्षित करा सकेगी।"

[संख्या एस 45011/2/86—एल डब्ल्यू/आर डब्ल्यू]
अभिक घोष, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 1992

G.S.R. 939(E).—The following draft of certain rules further to amend the Inter-State Migrant Workers (Regulation of Employment and Conditions

of Service) Rules, 1980 which the Central Government proposes to make in exercise of the Powers conferred by section 35 of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (30 of 1979), is published as required by sub-section (1) of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

2. Any objection or suggestion which may be received from any person(s) with respect to the said draft before the expiry of the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Inter-State Migrant Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central (Amendment) Rules, 1992.

2. In rule 37, in sub-rule (1) of the Inter-State Migrant Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 1980—

(i) for the words and figures "including the free up to Rs. 16 per consultation", the words "including consultation fee at such rates as may be prescribed by the appropriate Government", shall be substituted;

(ii) after sub-rule (1), so amended, the following proviso shall be inserted; namely.

"Provided that rates of consultation free may be revised periodically by the appropriate Government not later than once in four years."

[No. S-45011|2|86-LW|RW]

ABHIK GHOSH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992